प्रेस नोट दिनांक 02.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी की सम्पत्ति सहित किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त विशनू सरोज व अमन सरोज गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 अदद टिल्लू पम्प/मोटर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 29.08.2026 की रात्रि ग्राम परान का पुरवा, हीरागंज, थाना महेशगंज स्थित वादी वीरेन्द्र प्रताप सिंह के ट्यूबवेल के कमरे का अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। ताला न टूटने पर चोरों द्वारा खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर से 02 एच.पी. की किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी की मोटर/टिल्लू पम्प चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 01.09.2026 को थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 219/2026, धारा 331(4), 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं चोरी गए सामान की बरामदगी हेतु थाना महेशगंज पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी महेशगंज के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह हे0का0 सत्यपाल यादव, का0 सुनील कुमार, का0 अनिल राजपूत, का0 अजीत यादव एवं रि0का0 राकेश यादव द्वारा दिनांक 02.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर पूरे किशुनी-बाघराय नहर मार्ग के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्त 1-विशनू सरोज पुत्र रामाश्रय सरोज, उम्र करीब 20 वर्ष एवं 2-अमन सरोज पुत्र हीरालाल सरोज, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासीगण ग्राम परान का पुरवा, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 01 अदद टिल्लू पम्प/मोटर बरामद किया गया।

पूछताछ/बरामदगी-
बरामद टिल्लू पम्प के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.08.2026 की रात्रि में ग्राम परान का पुरवा स्थित वीरेन्द्र सिंह के ट्यूबवेल वाले कमरे से उक्त टिल्लू पम्प चोरी करना तथा उसे बेचने के लिए ले जाना बताया गया। बरामद टिल्लू पम्प किर्लोस्कर ब्रदर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसका मॉडल नम्बर **KDS-212N LV** एवं सीरियल नम्बर **A18BRL001537** है। मिलान करने पर उक्त

टिल्लू पम्प मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पाया गया। चोरी की सम्पत्ति बरामद होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- विशनू सरोज पुत्र रामाश्रय सरोज, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम परान का पुरवा, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2- अमन सरोज पुत्र हीरालाल सरोज, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम परान का पुरवा, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद चोरी का टिल्लू पम्प/मोटर, किर्लोस्कर ब्रदर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
मॉडल नम्बर **KDS-212N LV**।
सीरियल नम्बर **A18BRL001537**।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह हे0का0 सत्यपाल यादव, का0 सुनील कुमार, का0 अनिल राजपूत, का0 अजीत यादव एवं रि0का0 राकेश यादव, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त रामू गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी क्रम में उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 आशीष गुप्ता एवं रि0का0 विजय कुमार पटेल क्षेत्र में भ्रमण, रोकथाम जुर्म-जरायम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लालगंज पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रामू अपने घर ग्राम डाल का पुरवां मजरे असरही में मौजूद है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त रामू पुत्र जोखू, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम डाल का पुरवां मजरे असरही, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- राम पुत्र जोखू, उम्र करीब **21** वर्ष, निवासी ग्राम डाल का पुरवां मजरे असरही, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ**0**नि**0** भुवाल सिंह यादव मय हमराह का**0** आशीष गुप्ता एवं रि**0**का**0** विजय कुमार पटेल, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी एनबीडब्ल्यू गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में **01** वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा **01** एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आजाद सिंह उम्र करीब **30** वर्ष पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भूपियामऊ, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को भूपियामऊ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा**0** न्यायालय द्वारा मु**0**अ**0**सं**0 598/2017**, धारा **2/3** उ**0**प्र**0** गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ में एनबीडब्ल्यू गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था। पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त वारण्टी अभियुक्त भूपियामऊ रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
1- आजाद सिंह उम्र करीब **30** वर्ष पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भूपियामऊ, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ**0**नि**0** अतुल यादव मय हमराह कां**0** किशन यादव व कां**0** सन्तोष यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्ता टिसकी उर्फ रेनू उम्र करीब 48 वर्ष पत्नी पप्पू उर्फ राकेश, निवासी ग्राम कहला, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध मा0 न्यायालय ACJM, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट मु0नं0 1240/09, अ0सं0 165/06, धारा 147, 148, 352, 394, 506 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में जारी था, अभियुक्ता को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट एवं कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
टिसकी उर्फ रेनू उम्र करीब 48 वर्ष पत्नी पप्पू उर्फ राकेश, निवासी ग्राम कहला, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधेश यादव मय हमराह रि0कां0 रंजीत सोनकर व म0कां0 सपना कुमारी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 NBW/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 NBW/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कंधई पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अनीश पुत्र स्व0 नजीर उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW, स्पेशल ट्रायल सं0 800010/2010, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ में जारी था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अनीश पुत्र स्व0 नजीर उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।